भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096
****

फाइल सं. सीप्ज़-सेज़/श्रम/471/2014-15/17238 **दिनांकः 4 नवंबर, 2015**

परिपत्र संख्या 04 /2015-2016

महाराष्ट्र कारखाना नियमावली 1963 के नियम के 87 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 (I) के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां सामान्यतया 30 से अधिक महिलाएं कार्य करती हों, वहां ऐसी महिलाओं के छह साल से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक अलग उचित कमरे की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

सीप्ज़ प्राधिकरण के रिकार्डों से यह देखने में आया है कि आपने अपने कारखाने/यूनिट में 30 से अधिक महिला कामगारों को काम पर रखा है। अतएव, उपर्युक्त उपबंध आप पर लागू होते हैं तथा आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप अपनी महिला कामगारों को शिशुशाला (क्रेश) की सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि आप अपने यूनिट के अंदर शिशुशाला (क्रेश) की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ हों, तो आप अपने यूनिट के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा बीएफसी बिल्डिंग के भूमितल (ग्राउंड फ्लोर) में उपलब्ध कराई जा रही साझा शिशुशाला (क्रेश) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए आपको प्रति वर्ष 5,000/- (पांच हजार रूपए मात्र) सीप्ज़ प्राधिकरण को देने होंगे। इस प्रकार का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जो "सीप्ज़ सेज प्राधिकरण निधि" के पक्ष में आहरित किया गया हो, किया जा सकता है। सीप्ज़ प्राधिकरण इस साझा शिशुशाला (क्रेश) की सुविधा का लाभ उठाने वाले यूनिटों को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा जो उनके लिए निदेशक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विभाग (महाराष्ट्र सरकार) को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप अपने यूनिट में शिशुशाला (क्रेश) की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अथवा उपर्युक्त प्रभारों का भुगतान करके सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही साझा शिशुशाला का लाभ उठाए जाने के संबंध में जानकारी भिजवाएं।

(पी.एस.रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1) सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ यूनिट तथा ईओयू।
2) अध्यक्ष, सीप्ज़ जेम्स एंड ज्वैलरी मैन्यूफैक्च्यूरर्स।
3) चेयरमैन, सीमा, सीप्ज़-सेज़, मुंबई।
4) क्षेत्रीय निदेशक, 100% ईओयू तथा सेज़ के लिए ईपीसीईएस।
5) आइटी अनुभाग- अपलोडिंग के लिए।